राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 72/2020 अपील

भूरा पुत्र छोगा मीणा, निवासी–अखेराम जी का खेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. कालू पिता भागूता मीणा, निवासी–अखेराम जी का खेड़ा, तहसील जहाजपुर जिला_भीलवाडा
2. तहसीलदार जहाजपुर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर निर्णय दिनांक 01/07/2016 प्रकरण संख्या 78/2015 बअवान कालू बनाम सरकार

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से
3. विपक्षी संख्या अनुपस्थित – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 26.06.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 78/2015 निर्णय दिनांक 01.07.2016 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2015 अपील नामान्तरण दिनांक 20/11/2015 द्वारा तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण संख्या 33/2011 निर्णय दिनांक 08.05.2015 द्वारा पारित उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलार्थी कालू वास्तव में भागूता का पुत्र हैं अथवा छोगा का? प्रकरण में विधिक से गवाहों से समुचित रूप से जांच कर बाद जांच प्रकरण में नियमानुसार नामान्तरण कार्यवाही बाबत् अजसिरे नवनिर्णय पारित किया जाने हेतु रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ, जिस पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित कर दिया जो तथ्यों व विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को न तो सम्मन जारी किये गये न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर न प्रदान किया गया। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों का समुचित अवलोकन नहीं किया। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे का भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2015 अपील नामान्तरण दिनांक 20/11/2015 द्वारा तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण संख्या 33/2011 निर्णय दिनांक 08.05.2015 द्वारा पारित उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि अपीलार्थी कालू वास्तव में भागूता का पुत्र हैं अथवा छोगा का? प्रकरण में विधिक से गवाहों से समुचित रूप से जांच कर बाद जांच प्रकरण में नियमानुसार नामान्तरण कार्यवाही बाबत् अजसिरे नवनिर्णय पारित किया जाने हेतु रिमाण्ड किया गया। जिस पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 01.07.2016 को निर्णय पारित कर दिया जो तथ्यों व विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को न तो सम्मन जारी किये गये न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर न प्रदान किया गया। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों का समुचित अवलोकन नहीं किया। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे का भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जांच नहीं की गई जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। नामान्तरण संख्या 1533 में एल.आर. खजूरी की जांच में भी सजरा कालू का गलत बताया गया व नामान्तरण के पीछे गिरदावर खजूरी/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट में भागूता का पुत्र कालू होने का कोई सबूत नहीं होना जाहिर किया। जिससे भी नामान्तरण संख्या 1834 अपास्त किये जाने योग्य हैं व भागूता की मृत्यु के उपरान्त भागूता की भूमि पर अपीलार्थी काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं व अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों का समुचित अवलोकन नहीं किया जिन्होनें धूला के 4 पुत्र होना बताया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें न तो तलब किया गया न ही उनसे किसी प्रकार की जांच की। कालू द्वारा स्वयं को भागूता का पुत्र होना बताया हैं, तो उसने छोगा की भूमि में किस आधार पर अपना नाम लिखा रहा हैं? इसका स्पष्टीकरण नहीं किया व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व साक्ष्य का भी समुचित अवलोकन न कर निर्णय पारित कर दिया। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी वृद्ध व्यक्ति होकर कृषक व अनपढ़ व्यक्ति हैं जो कृषि कार्य द्वारा ही अपने एवं अपने परिवार का ही जीवन यापन करता चला आ रहा हैं। अपीलार्थी कानून की

प्रक्रियाओं व कानून की जानकारी नहीं रखता हैं। निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 78/2015 निर्णय दिनांक 01/07/2016 को अपास्त फरमा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ वारिसान के संबंध में समस्त दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने वक्त निर्णय उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण सही तौर निर्णय पारित किया हैं जिसमे कोई त्रुटि नहीं है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि, प्रकरण में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 05.11.2015 एवं 29.07.2011 में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित करते हुये प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि भागुता की विरासतन जांच कर एवं कालू वास्तव में भागुता का पुत्र है अथवा छोगा का ? इस संबंध में भागुता व छोगा की सम्पूर्ण विरासतन् की जांच की जाकर एवं समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भागुता व छोगा के पिता धुला के विरासतन की जांच गंभीरता से नही करके, एवं न ही सजरे अनुसार विरासतन के सभी पक्षकारों की सुनवायी की जाकर निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बयान द्वारा तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण संख्या 33/2011 दिनांक 03.01.2012 में कालू पिता भागुता के बयान अनुसार जो सजरा व्यक्त किया गया हैं उसमें भूरा को छोगा का एवं कालू को भागुता का पुत्र अंकित किया हुआ हैं। अब जब स्वयं कालू ने अपने बयान में भूरा को छोगा का पुत्र बताया हैं तो, छोगा की विरासत में कालू का नाम किस आधार पर अंकित कर छोगा की आराजियात को कालू के नाम किया गया? इसका कोई उल्लेख एवं जाचं परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया। जबकि इस न्यायालय के पूर्व आदेशों में अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रकरण में भागुता एवं छोगा के विरासतन की जांच कर एवं दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में, इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों की पूर्ण पालना

नही करके प्रकरण संख्या 78/2015 निर्णय दिनांक 01.07.2016 में विधिक त्रुटि करके निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 78/2015 निर्णय दिनांक 01.07.2016 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया किया जाकर निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्ररकण में भागुता एवं छोगा के विरासतन् की सम्पूर्ण जांच कर एवं इनसे संबंधित समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर एवं सभी पक्षकारानों की सुनवायी की जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जाये। उक्तानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 78/2015 निर्णय दिनांक 01.07.2016 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में भागुता एवं छोगा के विरासतन की सम्पूर्ण जांच कर एवं इनसे संबंधित समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण कर, भागुता व छोगा के समस्त वारिसों की सुनवायी जाकर प्रकरण में अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)